HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 07.08.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 13.03.2023 को अभियुक्त विपिन पुत्र श्रीनिवास निवासी ग्राम नगरीया तुला थाना बिलसंड़ा जनपद पीलीभीत द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण करने के सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर मु0अ0सं0 45/2023 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 12.04.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 07.08.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय कुमार चौहान (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री कैलाश चन्द एवं पैरोकार है0का0 पुष्पेंद्र व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 पुष्पा का विशेष योगदान रहा।